राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान

झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

क्रमांकः– F-109(13)/SIHFW/MH-Recruit/ECG/2023/1926 दिनांकः– 6/3/24

ईसीजी टेक्नीशियन पद हेतु दिनांक 22.09.2023 को जारी अन्तरिम वरीयता सूची पर प्राप्त ऑनलाईन परिवेदनाओं का निस्तारण

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान द्वारा ईसीजी टेक्नीशियन के कुल 246 पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 22.09.2023 को जारी अन्तरिम वरीयता सूची पर ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त परिवेदनाओं पर दिनांक 27.02.2024 को लिए गए निर्णय का विवरण निम्नानुसार प्रकाशित किया जा रहा है:–

क्र.स.	अभ्यर्थी का नाम	आईडी	परिवेदना का विवरण	वस्तुस्थितिपूरक टिप्पणी	लिया गया निर्णय
1	अश्वनी कुमार	ECN100384	अभ्यर्थी ने उत्तर प्रदेश पैरामेडिकल काउन्सिल से कार्डियोलोजी टेक्नीशियन में 2 वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त किया गया, जिसे आरपीएमसी द्वारा अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन कार्डियो इन्स्ट्रूमेन्ट टेक्नोलोजी में कर दिया गया। प्रार्थी ने स्वयं के डिप्लोमा को ई.सी. जी.टैक्नीशियन के समकक्ष मानते हुए चयन की मांग की है।	अभ्यर्थी ने उत्तर प्रदेश पैरामेडिकल काउन्सिंल से कार्डियोलोजी टेक्नीशियन में 2 वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त किया गया, जिसे आरपीएमसी द्वारा अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन कार्डियो टेक्नोलोजी में कर दिया गया। माननीय न्यायालय के आदेशों के मद्देनज़र ऐसे अभ्यर्थी जिनका रजिस्ट्रेशन कार्डियो इंन्स्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी का है उन्हे भर्ती प्रकिया में सम्मिलित किया है जिसपर कार्यवाही प्रकियाधीन है। साथ ही अभ्यर्थी श्री अश्वनी कुमार के प्राप्तांक 44.497 प्रतिशत हैं जो सामान्य श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों 49.690 से कम होने के कारण अभ्यर्थी प्रोवीजनल मेरिट सूची मे स्थान बना पाने में भी असफल रहा है।	परिवेदना खारिज
2	कुणाल रोहिल्ला	ECN100448	अभ्यार्थी के ईसीजी डिप्लोमा में 61.72 प्रतिशत है और 12 विज्ञान में 59.40 है। व एक वर्ष 1 वर्ष 7 माह 8 दिन का अनुभव प्रमाण पत्र है। अभ्यर्थी ओबीसी एनसीएल से सम्बन्धित है। अन्तिम वरियता सूची में नाम जोड़ने की कृपा करे।	विभाग द्वारा प्राप्तांकों की गणना हेतु सम्पूर्ण भर्ती में एक समान प्रकिया अपनाई गई है। अभ्यर्थी के प्रथम व द्वितीय वर्ष के प्राप्तांक कमश 684 व 445 हैं जो कुल 1900 अंकों में से प्राप्त हैं। इस प्रकार इनका प्रतिशत योग 59.421 होता है जिसमे 12वी परीक्षा के प्रतिशत प्राप्तांक 59.400 जोड़कर इनके औसत का 70 प्रतिशत 41.587 होता है। अभ्यर्थी का अनुभव निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार अभ्यर्थी श्री कुणाल रोहिला के कुल प्राप्तांक 41.587 ओ.बी.सी. नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी (42.401 प्रतिशत) से कम होने के कारण चयन से वंचित रहा है।	परिवेदना खारिज

3	मुकेश कुमार सैनी	ECN101064	आपके द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार मेरे ईसीजी डिप्लोमा के 1125 में से 733 अंक की प्रतिशत 65.15 है एवं बारहवी में 56.80 प्रतिशत अंक है दोनों की औसत प्रतिशत 60.975 का 70 प्रतिशत अंक निकालने पर मेरे कुल 42.682 प्रतिशत अंक बनते है । अतः ई.सी.जी टैक्निशीयन भर्ती 2023 में ओबीसी नॉन क्रिमीलियर की कट ऑफ मार्क्स नम्बर से अधिक नम्बर होने पर भी चयन सूची में नाम नही आने पर परिवेदना	विभाग द्वारा प्राप्तांकों की गणना हेतु सम्पूर्ण भर्ती में एक समान प्रक्रिया अपनाई गई है। अभ्यर्थी के प्रथम व द्वितीय वर्ष के प्राप्तांक कमश 459 व 503 हैं जो कुल 1500 अंकों में से प्राप्त हैं। इस प्रकार इनके योग का प्रतिशत 64.133 होता है जिसमे 12वी परीक्षा के प्रतिशत प्राप्तांक 56.80 जोड़कर इनके औसत का 70 प्रतिशत 42.327 होता है। अनुभव अवधि एक वर्ष से कम होने, जो कोविड अवधि के दौरान कार्य का नहीं है, के कारण बोनस अंक देय नहीं है। इस प्रकार अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 42.327 ओ.बी.सी. नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी (42.401 प्रतिशत) से कम होने के कारण चयन से वंचित रहा है।	परिवेदना खारिज
4	हिमांशु सोनी	ECN100544	अभ्यर्थी द्वारा आरपीएमसी में रजिस्ट्रशन के लिये उच्च न्यायलय में याचिका दायर की हुई है, जिसकी संख्या सीडब्लुय/4680/2023 है। माननीय न्यायालय के निर्णय के अध्याधीन अंतरिम सूची में नाम जोडने बाबत।	अभ्यर्थी ने संगाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से 12वीं की पढ़ाई की है जो राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड नहीं है। अभ्यर्थी आवेदन की अन्तिम दिनांक 28.7.2023 तक राजस्थान पैरामेडिकल काउन्सिल में पंजीकृत भी नहीं है। अतः विज्ञप्ति की शर्तो के अनुसार मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होने व आवेदन की अंतिम दिनांक तक राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकृत नही होने के कारण इस भर्ती हेतु पात्र नहीं है। माननीय न्यायालय ने वर्तमान तक प्रार्थी की रिट याचिका पर कोई निर्णय प्रदान नहीं किया है।	परिवेदना खारिज
5	धीरज सिंह	ECN100410	ई.सी.जी टैक्निशीयन भर्ती 2023 में गैर अनुसूचित क्षैत्र की अंतरिम वरियता सूची में क्र.स. 61 धीरज सिंह को अविवाहित से विवाहित करने के क्रम में।	अभ्यर्थी ने विवाहित श्रेणी में आवेदन किया है दस्तावेज सत्यापन में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया है। अतः अभ्यर्थी की श्रेणी अविवाहित से विवाहित किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
6	अनिल कुमार शर्मा	ECN100735	1-ईसीजी टेक्नीशियन पद की नियमानुसार योग्यता सीनियर सैकण्डरी (विज्ञान) के साथ दो वर्ष का ईसीजी टेक्नीशियन डिप्लोमा एवं आरपीएमसी में पंजीयन होने के उपरान्त भी अन्य कोर्स के अभ्यर्थियों को जगह दी गई है। निदेशालय के पत्र कमांक 28 दिनांक 31.1.2019 के द्वारा गठित कमेटी ने कार्डियोलॉजी इन्स्टूमेंट टेक्नीशियन एवं ईसीजी टेक्नीशियन को समान नहीं माना है। अतः रोके गए 17	1-माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार कार्डियोलॉजी इन्स्टूमेन्ट टेक्नीशियन डिप्लोमा धारी अभ्यर्थियों को भर्ती प्रकिया में सम्मिलित किया गया है। कार्डियोलॉजी इन्स्टूमेन्ट टेक्नीशियन के संबंध में न्यायालय निर्णय अनुसार कार्यवाही की जायेगी। 2-दो अभ्यर्थियों आईडी कमांक 101352 एवं 101383 द्वारा दस्तावेज सत्यापन में आरपीएमसी का पंजीयन प्रस्तुत किया गया है। पंजीयन के अभाव में किसी अन्य दस्तावेज के आधार पर चयन नहीं किया गया है। किन्तु अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त होने के कारण	विभागीय टिप्पणी अनुसार अनुमोदित
7	विनोद कुमार सैनी	ECN100861			
8	रेनू कुमावत	ECN101137			
9	दिनेश जैन	ECN100458			
10	अंशिका गर्ग	ECN100825			
11	विजेन्द्र सिंह	ECN100994			

<table>
<tr><td>12</td><td>योगेश शर्मा</td><td>ECN101175</td><td rowspan="8">पदों के स्थान पर योग्य अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाए।

2– विज्ञप्ति के अनुसार पंजीयन के अभाव में अन्य कोई दस्तावेज मान्य नहीं है इसके पश्चात भी दो अभ्यर्थियों को अन्तरिम सूची में जोड़ा गया है अतः रोके गए कुल 2 पदों के स्थान पर योग्य अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाए।

3– एमबीसी श्रेणी के 4 रिक्त रहे पदों को नियमानुसार सामान्य प्रकिया अपनाकर भरने की जगह रोका गया है। अतः रोके गए 4 पदों को योग्य अभ्यर्थियों से भरा जाए ।

4– अ0जा0 एवं अ0ज0जा0 के बैकलाग के पदों को कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.7.2023 के अनुसार सामान्य प्रकिया अपनाते हुए योग्य अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाएं ।

5– अन्य राज्यों से व्यावसायिक योग्यता उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए 2 पद रिजर्व किए गए है इनका आरपीएमसी में रजिस्ट्रेशन है किन्तु अन्य राज्य में नहीं है। इन दो पदों के स्थान पर याग्य अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाए।

6– अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यता की जांच किए कुल 4 अभ्यर्थियों को अंतरिम सूची में रखा गया है इनकी जांच होने के उपरान्त ही इन्हें अन्तिम सूची में स्थान दिया जाएं।

7– सूची में कुछ नाम ऐसे पाए गए है जो ईसीजी टेक्नीशियन भर्ती 2018 एवं 2020 में चयन होने के</td><td rowspan="8">अंकतालिकाओं के सत्यापन हेतु परिणाम रोका गया है।

3–एमबीसी श्रेणी में रिक्त रहे पदों के संबंध में कार्मिक विभाग से मार्गदर्शन चाहा गया है। प्राप्त मार्गदर्शन अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

4– अ0जा0 एवं अ0ज0जा0 के बैकलॉग पदों को तीन भर्ती वर्षो तक कैरीफारवर्ड करने के उपरान्त आगामी भर्ती में सामान्य प्रकिया से भरे जाने का प्रावधान है। ईसीजी टेक्नीशियन भर्ती 2023 तीसरा भर्ती वर्ष है। अतः आगामी भर्ती में, बैकलाग होने की स्थिति में, पदों को सामान्य प्रकिया से भरा जा सकेगा।

5–अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का संबंधित राज्य की काउन्सिल एवं आरपीएमसी से सत्यापन उपरान्त ही नियुक्ति दी जायेगी।

6–अनुभव प्रमाण पत्रों के पुर्नसत्यापन हेतु दिशा निर्देश जारी किए जा चुके है। अनुभव प्रमाण पत्रों के सत्यापन उपरान्त ही अभ्यर्थियों को अन्तिम चयन सूची में सम्मिलित किया जायेगा।

7–आवेदन करने वाले पात्र अभ्यर्थी यदि वरियता सूची में स्थान बनाने में सफल रहते है तो ऐसे अभ्यर्थियों को चयन सूची से बाहर नहीं किया जा सकता।</td><td rowspan="8"></td></tr>
<tr><td>13</td><td>मनोज कुमार यादव</td><td>ECN100924</td></tr>
<tr><td>14</td><td>तपीश गुप्ता</td><td>ECN101204</td></tr>
<tr><td>15</td><td>दीपक शर्मा</td><td>ECN101180</td></tr>
<tr><td>16</td><td>हेमराज सैनी</td><td>ECN101160</td></tr>
<tr><td>17</td><td>अंकित कुमार</td><td>ECN102118</td></tr>
<tr><td>18</td><td>योगेश कुमार बेनीवाल</td><td>ECN101123</td></tr>
<tr><td>19</td><td>दिव्यांशी जोशी</td><td>ECN100995</td></tr>
</table>

			उपरान्त भी कार्यग्रहण नहीं किया है ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर किए जाए।		
20	विकास कुमार यादव	ECN101766	अभ्यार्थी ने कार्डियक इन्सटूमेन्ट टेक्नोलॉजी में 2 वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त किया गया, अन्य अभ्यर्थी जो कार्डियक इन्सट्रूमेंट टेक्नोलॉजी डिप्लोमा उत्तीर्ण है, के समान अंतरिम वरियता सूची में शामिल करने बाबत	अभ्यर्थी आवेदन की अन्तिम दिनांक 28. 7.2023 तक राजस्थान पैरामेडिकल काउन्सिल में पंजीकृत नहीं है। अतः विज्ञप्ति की शर्तो के अनुसार आवेदन निरस्त किया गया है।	परिवेदना खारिज
21	कोमल यादव	ECN101760	अभ्यार्थी ने कार्डियक इन्सटूमेन्ट टेक्नोलॉजी में 2 वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त किया गया, अन्य अभ्यर्थी जो कार्डियक इन्सट्रूमेंट टेक्नोलॉजी डिप्लोमा उत्तीर्ण है, के समान अंतरिम वरियता सूची में शामिल करने बाबत	अभ्यर्थी आवेदन की अन्तिम दिनांक 28. 7.2023 तक राजस्थान पैरामेडिकल काउन्सिल में पंजीकृत नहीं है। अतः विज्ञप्ति की शर्तो के अनुसार आवेदन निरस्त किया गया है।	परिवेदना खारिज
22	सोहन लाल यादव	ECN101763	अभ्यार्थी ने कार्डियक इन्सटूमेन्ट टेक्नोलॉजी में 2 वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त किया गया, अन्य अभ्यर्थी जो कार्डियक इन्सट्रूमेंट टेक्नोलॉजी डिप्लोमा उत्तीर्ण है, के समान अंतरिम वरियता सूची में शामिल करने बाबत	अभ्यर्थी आवेदन की अन्तिम दिनांक 28. 7.2023 तक राजस्थान पैरामेडिकल काउन्सिल में पंजीकृत नहीं है। अतः विज्ञप्ति की शर्तो के अनुसार आवेदन निरस्त किया गया है।	परिवेदना खारिज
23	प्रकाश चन्द	ECN101748	अभ्यार्थी ने कार्डियक इन्सटूमेन्ट टेक्नोलॉजी में 2 वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त किया गया, अन्य अभ्यर्थी जो कार्डियक इन्सट्रूमेंट टेक्नोलॉजी डिप्लोमा उत्तीर्ण है, के समान अंतरिम वरियता सूची में शामिल करने बाबत	अभ्यर्थी आवेदन की अन्तिम दिनांक 28. 7.2023 तक राजस्थान पैरामेडिकल काउन्सिल में पंजीकृत नहीं है। अतः विज्ञप्ति की शर्तो के अनुसार आवेदन निरस्त किया गया है।	परिवेदना खारिज
24	रजनीश बावरिया	ECN101758	अभ्यार्थी ने कार्डियक इन्सटूमेन्ट टेक्नोलॉजी में 2 वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त किया गया, अन्य अभ्यर्थी जो कार्डियक इन्सट्रूमेंट टेक्नोलॉजी डिप्लोमा उत्तीर्ण है, के समान अंतरिम वरियता सूची में शामिल करने बाबत	अभ्यर्थी आवेदन की अन्तिम दिनांक 28. 7.2023 तक राजस्थान पैरामेडिकल काउन्सिल में पंजीकृत नहीं है। अतः विज्ञप्ति की शर्तो के अनुसार आवेदन निरस्त किया गया है।	परिवेदना खारिज
25	रमेश बावरिया	ECN101754	अभ्यार्थी ने कार्डियक इन्सटूमेन्ट टेक्नोलॉजी में 2 वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त किया गया, अन्य अभ्यर्थी जो कार्डियक इन्सट्रूमेंट टेक्नोलॉजी डिप्लोमा	अभ्यर्थी आवेदन की अन्तिम दिनांक 28. 7.2023 तक राजस्थान पैरामेडिकल काउन्सिल में पंजीकृत नहीं है। अतः विज्ञप्ति की शर्तो के अनुसार आवेदन निरस्त किया गया है।	परिवेदना खारिज

			उत्तीर्ण है, के समान अंतरिम वरियता सूची में शामिल करने बाबत		
26	रामावतार बावरिया	ECN101757	अभ्यार्थी ने कार्डियक इन्सट्रूमेन्ट टेक्नोलॉजी में 2 वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त किया गया, अन्य अभ्यर्थी जो कार्डियक इन्सट्रूमेंट टेक्नोलॉजी डिप्लोमा उत्तीर्ण है, के समान अंतरिम वरियता सूची में शामिल करने बाबत	अभ्यर्थी आवेदन की अन्तिम दिनांक 28.7.2023 तक राजस्थान पैरामेडिकल काउन्सिल में पंजीकृत नहीं है। अतः विज्ञप्ति की शर्तो के अनुसार आवेदन निरस्त किया गया है।	परिवेदना खारिज
27	सुरेश कुमार नालूना	ECN101317	सिविल रिट पिटीशन संख्या 10855/2023 की अनुपालना में कोर्डियों इन्स्टूमेटंस टेक्नीशियन को अंतरिम वरियता सूची में शामिल करने बाबत	माननीय न्यायालय के निर्णय अनुसार कार्डियो इन्स्टूमेन्ट टेक्नीशियन कोर्स उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया है जिसपर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। अभ्यर्थी ओबीसी–एनसीएल वर्ग से है। ओबीसी श्रेणी में कटआफ प्रतिशत 42.401 है जबकि अभ्यर्थी के प्रतिशत प्राप्तांक 41.309 है। जो कटआफ से कम है।	परिवेदना खारिज
28	पवन कुमार सैनी	ECN101275	सिविल रिट पिटीशन संख्या 10855/2023 की अनुपालना में कोर्डियों इन्स्टूमेटंस टेक्नीशियन को अंतरिम वरियता सूची में शामिल करने बाबत	माननीय न्यायालय निर्णय अनुसार कार्डियो इन्स्टूमेन्ट टेक्नीशियन कोर्स उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया है। अभ्यर्थी ओबीसी–एनसीएल वर्ग से है। ओबीसी श्रेणी में कटआफ प्रतिशत 42.057 है जबकि अभ्यर्थी के प्रतिशत प्राप्तांक 40.227 है। जो कटआफ से कम है।	परिवेदना खारिज
29	निकिता शर्मा	ECN101390	सिविल रिट पिटीशन संख्या 10855/2023 की अनुपालना में कोर्डियों इन्स्टूमेटंस टेक्नीशियन को अंतरिम वरियता सूची में शामिल करने बाबत	माननीय न्यायालय निर्णय अनुसार कार्डियो इन्स्टूमेन्ट टेक्नीशियन कोर्स उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया है। जिसपर अग्रम कार्यवाही प्रकियाधीन है। अभ्यर्थी अनारक्षित महिला वर्ग से है। अनारक्षित महिला श्रेणी में कटआफ प्रतिशत 52.033 है जबकि अभ्यर्थी के प्रतिशत प्राप्तांक 48.510 है। जो कटआफ से कम है।	परिवेदना खारिज
30	मनीष चौधरी	ECN101377	सिविल रिट पिटीशन संख्या 10855/2023 की अनुपालना में कोर्डियों इन्स्टूमेटंस टेक्नीशियन को अंतरिम वरियता सूची में शामिल करने बाबत	अभ्यर्थी ने ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में आवेदन किया है जबकि डाटा में ओबीसी सीएल है। दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र अनुसार भी ओबीसी एनसीएल है। ओबीसी एनसीएल की कटआफ से अधिक है। माननीय न्यायालय के निर्णय अनुसार अभ्यर्थी को मेंरिट में यथास्थान सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
31	विजय पाल सिंह	ECN100899	अभ्यार्थी के अनुसार ई सी जी भर्ती में इनकी 12 की मार्कशीट का मुल्यांकनं 8 विषय का मुल्यांकन नही किया गया	दस्तावेज सत्यापन में अभ्यर्थी द्वारा सीबीएसई की वर्ष 2013 की सीनियर सैकण्डरी उत्तीर्ण की अंकतालिका प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार अभ्यर्थी के पांच विषयों के 500 में से 263 अंक दिए गए है। जो सही है।	परिवेदना खारिज

32	महेश कुमार यादव	ECN101383	सम्बन्धित संस्थान की मान्यता सत्यापन उपरान्त अन्तिम वरियता सूची में नाम जुडवाने बाबत	अभ्यर्थी द्वारा ईसीजी टेक्नीशियन डिप्लोमा अन्य राज्य तेलंगाना से उत्तीर्ण किए जाने के कारण सत्यापन के अध्यधीन रोका गया है। जिसके संबंधित राज्य से सत्यापन उपरान्त परिणाम जारी किया जा सकेगा।	वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं
33	सीमा शर्मा	ECN101176	अंतरिम वरियता सूची में जोडे गये कार्डियो इन्स्ट्रूमेन्ट डिप्लोमा उत्तीर्ण अभ्यार्थियों को बाहर करने, एमबीसी के रिक्त पदों को सामान्य से भरने एवं बैकलॉग के पदों को इस वैकन्सी में जोडने बाबत शिकायत/सुझाव	कार्डियोलॉजी इन्स्ट्रूमेन्ट टेक्नीशियन के संबंध में न्यायालय निर्णय अनुसार कार्यवाही की जायेगी। एमबीसी श्रेणी में रिक्त रहे पदों के संबंध में कार्मिक विभाग से मार्गदर्शन चाहा गया है। प्राप्त मार्गदर्शन अनुसार कार्यवाही की जा रही है। अ0जा0 एवं अ0ज0जा0 के बैकलॉग पदों को तीन भर्ती वर्षो तक कैरीफारवर्ड करने के उपरान्त आगामी भर्ती में सामान्य प्रकिया से भरे जाने का प्रावधान है। ईसीजी टेक्नीशियन भर्ती 2023 तीसरा भर्ती वर्ष है । अतः आगामी भर्ती में, बैकलाग होने की स्थिति में, पदों को सामान्य प्रकिया से भरा जा सकेगा।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं
34	रोहित शर्मा	ECN101128	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं
35	मुकेश कुमार यादव	ECN100010	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं
36	महेन्द्र सिंह चौहान	ECN100543	अयोग्य अभ्यार्थियों के लिये डीसीआईटी व अन्य सीट न रोककर योग्य अभ्यार्थियों की चयन सूची में सम्मिलित करेन हेतु शिकायत/सुझाव	कार्डियोलॉजी इन्स्ट्रूमेन्ट टेक्नीशियन के संबंध में न्यायालय निर्णय अनुसार कार्यवाही की जायेगी।	वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं
37	विष्णु सैनी	ECN101162	ईसीजी टेक्नीशियन की अन्तरिम वरियता सूची में आई टिप्पणी (subject to verification of experience from issuing authorty) को दूर करवाये जाने बाबत।	अनुभव प्रमाण पत्र के पुर्नसत्यापन हेतु दिशा निर्देश जारी किये जा चुके है। अनुभव अवधि के पुर्नसत्यापन अनुसार कार्यवाही की जायेगी।	वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं
38	रणजीत खटीक	ECN101171	ईसीजी टेक्नीशियन की अन्तरिम वरियता सूची में आई टिप्पणी (subject to verification of experience from issuing authorty) को दूर करवाये जाने बाबत।	अनुभव प्रमाण पत्र के पुर्नसत्यापन हेतु दिशा निर्देश जारी किये जा चुके है। अनुभव अवधि के पुर्नसत्यापन अनुसार कार्यवाही की जायेगी।	वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं
39	सतीश कुमार	ECN101196	ईसीजी टेक्नीशियन की अन्तरिम वरियता सूची में आई टिप्पणी (subject to verification of experience from issuing authorty) को दूर करवाये जाने बाबत।	अनुभव प्रमाण पत्र के पुर्नसत्यापन हेतु दिशा निर्देश जारी किये जा चुके है। अनुभव अवधि के पुर्नसत्यापन अनुसार कार्यवाही की जायेगी।	वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं

40	रूखसार खान	ECN101205	ईसीजी टेक्नीशियन की अन्तरिम वरियता सूची में आई टिप्पणी (subject to verification of experience from issuing authorty) को दूर करवाये जाने बाबत।	अनुभव प्रमाण पत्र के पुर्नसत्यापन हेतु दिशा निर्देश जारी किये जा चुके है। अनुभव अवधि के पुर्नसत्यापन अनुसार कार्यवाही की जायेगी।	वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं
41	राकेश चौधरी	ECN101352	अयोग्य अभ्यार्थियों के लिये डीसीआईटी व अन्य सीट न रोककर योग्य अभ्यार्थियों की चयन सूची में सम्मिलित करेन हेतु शिकायत/सुझाव	कार्डियोलॉजी इन्स्टूमेन्ट टेक्नीशियन के संबंध में न्यायालय निर्णय अनुसार कार्यवाही की जायेगी।	वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं

निदेशक
राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान
जयपुर